

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4498/2022

डॉ. वीरेन्द्र कुमार शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
एवं अन्य

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2022
आदेश की दिनांक : 31.10.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी, सर्जरी के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन एस.एम.एस हॉस्पिटल जयपुर से पीएचसी, सिरास जिला टोंक में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को केवल चिकित्सा अधिकारी दर्शाया गया है, जबकि अपीलार्थी की योग्यता (सर्जरी) को नहीं दर्शाया गया है, जो गलत है। आगे यह भी तर्क है कि अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की पदोन्नति आदेश दिनांक 21.10.2022 के द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर हो चुकी है। ऐसे में आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। आक्षेपित आदेश पारित किये जाने के समय अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर था और स्थानांतरण आदेश में अपीलार्थी का पद चिकित्सा अधिकारी दर्शाते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, परंतु हमारे ध्यान में यह भी तथ्य लाया गया है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश

पारित होने के पश्चात दिनांक 21.10.2022 को अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर हो चुकी है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण न किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)